

**संशोधित विज्ञापित सूचना**

विज्ञापित संख्या : 1212/उ0आ0वि0/अधि0/विज्ञापित/2017-18  
दिनांक : 11 फरवरी, 2020

उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के परिसरों में प्रोफेसर (**Pay Scale – Rs. 37400-67000, AGP 10000**) के रिक्त पदों को नियमित आधार पर भरे जाने हेतु अभ्यर्थियों से विश्वविद्यालय वेबसाईट से डाउनलोड किये गये निर्धारित प्रारूप पर भरकर स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तिथि **07.03.2020** की अपरान्ह: 5:00 बजे तक है। विज्ञापित पदों का आरक्षणानुसार विवरण निम्नवत् है :-

Sl. No.	Departments	Total No. of posts
01	संहिता संस्कृत एवं सिद्धान्त	02 (01 SC, 01 UR)
02	क्रिया शारीर	02 (02 SC )
03	रचना शारीर	02 (02 UR)
04	द्रव्यगुण विज्ञान	02 (01 OBC, 01 EWS)
05	रस शास्त्र एवं भैषज्य कल्पना	01 (01 SC)
06	रोग निदान एवं विकृति विज्ञान	01 (01 OBC)
07	स्वस्थवृत्त एवं योग	02 (01 ST, 01 EWS)
08	अगद तंत्र, व्यवहार आयुर्वेद एवं विधि वैद्यक	02 (01 SC, 01 OBC)
09	बाल रोग (कौमार भृत्य)	01 (01 SC)
10	प्रसूति एवं स्त्री रोग	02 (02 OBC)
11	शल्य तंत्र	02 (01 SC, 01 UR)
12	शालाक्य तंत्र	02 (01 OBC, 01 EWS)
13	काय चिकित्सा	03 (01 SC, 02 UR)
14	पंचकर्म	02 (01 OBC, 01 UR)
	<b>TOTAL</b>	<b>26</b> SC – 08 UR – 07 EWS - 03 OBC – 07 ST – 01

**नोट :-**

(1) शासनादेशों के नवीनतम प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की महिलाओं/पूर्व सैनिकों/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों/कुशल खिलाड़ियों/राज्य आन्दोलनकारी (माननीय उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन)/उनके पात्र आश्रितों/शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों को नियमानुसार क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा। पदों की संख्या बिना पूर्व सूचना के घटाई, बढ़ाई अथवा सम्पूर्ण विज्ञप्ति/आंशिक विज्ञप्ति निरस्त की जा सकती है, तदनुसार आरक्षण की स्थिति में परिवर्तन हो सकता है। इस संबंध में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। साथ ही इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार उत्तर योग्य नहीं होगा।

(2) प्रोफेसर के पदों पर प्राप्त आवेदनों की सॉर्टलिस्टिंग विश्वविद्यालयों में प्रचलित मान्य प्रक्रिया के अनुरूप यू0जी0सी0 मापदण्डों को आधार बनाकर साक्षात्कार के माध्यम से चयनित किये जायेंगे।

(3) अन्य संवर्गों के रिक्त पदों सम्बन्धी संशोधित विज्ञप्ति यथाशीघ्र संशोधन के पश्चात प्रकाशित/विज्ञापित की जायेगी।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही के संबंध में समस्त अधिकार विश्वविद्यालय में निहित होंगे तथा विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी होगा।

**2-पदों हेतु शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव :-**

न्यूनतम-अनिवार्य/अधिमान्य अर्हता का विवरण निम्नवत् है :-

**(क) अनिवार्य अर्हता-**

(1) केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में स्नातक उपाधि।

(2) केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम की अनुसूचियों में सम्मिलित संबंधित विषय अथवा विशिष्टता में स्नातकोत्तर उपाधि।

**(ख) अनुभव-**

**आचार्य (प्रोफेसर) के पद हेतु-** सम्बन्धित विषय में कुल दस वर्षों का शिक्षण अनुभव अथवा सम्बन्धित विषय में सह-आचार्य (प्रवाचक) के रूप में पांच वर्षों का शिक्षण अनुभव अथवा मान्यता प्राप्त जर्नल में प्रकाशित न्यूनतम पांच शोध पत्रों सहित केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ शासित क्षेत्रों की अनुसंधान परिषदों अथवा विश्वविद्यालय अथवा राष्ट्रीय संस्थाओं में नियमित सेवा के कुल दस वर्षों का अनुसंधान अनुभव।

**नोट :-** आयुर्वेद के सम्बन्धित विषय में डॉक्टरेट उपाधि धारक को एक वर्ष का शैक्षणिक अनुभव व प्राथमिकता दी जायेगी।

**(ग) अधिमान्य अर्हता -**

1. शोध कार्य और मौलिक पत्रों और पुस्तकों का प्रकाशन।

**(घ) आयु सीमा-**

1. आचार्य/प्रोफेसर पद हेतु अधिकतम आयुसीमा - 55 वर्ष

उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

**3- वैवाहिक परिस्थिति -** सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और न ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी हो:

परन्तु यह कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उसका यह समाधान हो कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

**4- आरक्षण :-**



(1) **ऊर्ध्व आरक्षण**— उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

(2) **क्षैतिज आरक्षण**— उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित तथा पूर्व सैनिकों को क्षैतिज आरक्षण उत्तराखण्ड के प्राविधानों तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार देय होगा। उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को आरक्षण का लाभ तभी अनुम्य होगा जब सम्बन्धित पद शासन द्वारा विकलांगता की श्रेणियों में से किसी के लिए चिन्हित होगा।

(i) **“पूर्व सैनिक”** से उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी अभिप्रेत है, जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में योद्धक या अनायोद्धक के रूप में सेवा की हो और जो—(एक) अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या (दो) चिकित्सीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो, ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सीय या अन्य योग्यता पेंशन दी गई है, या (तीन) जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किये जाने के फलस्वरूप, स्वयम् की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है या (चार) विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवा मुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गयी है और इसमें टेरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैं— (एक) निरन्तर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले, (दो) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, और (तीन) शौर्य पुरस्कार पाने वाले।

**नोट:— पूर्व सैनिकों के आश्रितों को किसी भी प्रकार की छूट या आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है।**

**नोट:—**

(1) शासनादेशों के नवीनतम् प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 19%, उत्तराखण्ड के अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 04% तथा उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 14% ऊर्ध्व आरक्षण अनुमन्य होगा।

(2) शासनादेशों के नवीनतम् प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड की महिला के लिए 30%, उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक के लिए 05%, उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए 02%, उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ियों के लिए 04%, उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी/उनके पात्र आश्रित के लिए 10% (माननीय उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन) तथा उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों के लिये 3% क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा।

(3) यदि अभ्यर्थी एक से अधिक श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक श्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगा, का लाभ पाने का पात्र होगा।

(4) आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में इस विज्ञापन के परिशिष्ट-01 में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाय तब वे उसे परिषद्/नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करें।

(5) आरक्षण उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार होगा। चयन के समय उपलब्ध पदों के आधार पर ही आरक्षित/अनारक्षित श्रेणियों में चयन की कार्यवाही की जायेगी।

5— **शुल्क** :— अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ बैंक के माध्यम से निम्नलिखित परीक्षा शुल्क का बैंक ड्राफ्ट जो **वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून** के नाम देय हो, अनिवार्य रूप से निर्धारित तिथि के अन्तर्गत जमा करना होगा, **यह शुल्क प्रतिदेय नहीं होगा**। यदि अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निर्धारित तिथि के उपरान्त विश्वविद्यालय को प्राप्त होता है तो अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा। जमा शुल्क किसी भी दशा में अभ्यर्थी को वापस नहीं होगा।

क्र०सं०	श्रेणी	शुल्क प्रतिपद
1.	अनारक्षित (सामान्य)	रु० 2000 /— मात्र
2.	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ०बी०सी०)	रु० 2000 /— मात्र
3.	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति (एस०सी०)	रु० 1500 /— मात्र
4.	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति (एस०टी०)	रु० 1500 /— मात्र

नोट :- उक्त पद हेतु जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पूर्व में किये गये हैं, उन अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करते समय विश्वविद्यालय को पूर्व में प्रेषित बैंक ड्राफ्ट की छायाप्रति अनिवार्य रूप से संलग्न की जानी आवश्यक होगी। इन अभ्यर्थियों से पुनः आवेदन शुल्क नहीं लिया जायेगा।

6- राष्ट्रीयता सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि:-

(क) भारत का नागरिक हो, या (ख) तिब्बती शरणार्थी, हो जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, या (ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीका देश केनिया, यूगांडा यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो,

परन्तु यह कि उक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महनिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें। परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

7- चरित्र:- सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी :- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

8- विश्वविद्यालय किसी भी समय प्रकाशित विज्ञापित में आंशिक संशोधन अथवा अपरिहार्य परिस्थितियों में विज्ञापित निरस्त कर सकता है। इस विज्ञापन में किये गये परिवर्तन के संबंध में किसी प्रकार का प्रत्यावेदन अथवा दावा मान्य नहीं होगा।

9- अभ्यर्थीगण विश्वविद्यालय की वेबसाईट [www.uau.ac.in](http://www.uau.ac.in) से आवेदन पत्र डाउनलोड कर उपयोग में ला सकते हैं। निर्धारित प्रारूप पर ही अभ्यर्थी अपना आवेदन (परीक्षा शुल्क संबंधी बैंक ड्राफ्ट (मूलरूप में) एवं समस्त शैक्षिक/वांछनीय अर्हताओं के प्रमाण पत्रों के स्व:प्रमाणित प्रतियों सहित) कुलसचिव, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, हरवाला परिसर, देहरादून - 248001 के नाम मात्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 07.03.2020 की अपराह्न 05:00 बजे तक प्रेषित कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थियों को डाक टिकट लगा हुआ स्व: पता लिखा 03 लिफाफे संलग्न करना अनिवार्य है। उक्त के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे। उक्तानुसार निर्धारित समय-सीमा के उपरान्त कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा कालबाधित लिखवाते हुए संबंधित डाकघर से ही वापिस करा दिया जायेगा। विश्वविद्यालय को प्रेषित किये जाने वाले लिफाफे में अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से ऊपर विज्ञापित संख्या ( ) , आवेदित पद का नाम एवं पदकोड संख्या लिखा जाना अनिवार्य होगा।

10- आयु की गणना - आयु की गणना अनुसार 01 जनवरी, 2018 के आधार पर की जायेगी। उक्त तिथि को ही संबंधित अभ्यर्थी आवेदित पद की वांछित अर्हता पूर्ण होनी आवश्यक है।

11- योग्य अभ्यर्थी प्राप्त न होने की दशा में पदों को रिक्त रखा जाएगा। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का प्रत्यावेदन/आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।



12- इस विज्ञप्ति से संबंधित नवीनतम सूचनायें/अद्यतन जानकारियां मात्र विश्वविद्यालय की वेबसाईट के माध्यम से प्रसारित की जायेंगी, किसी अन्य माध्यम से नहीं। अतः अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि विश्वविद्यालय की वेबसाईट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें।

13- यदि कोई भी अभ्यर्थी अनैतिक माध्यम से परीक्षा/साक्षात्कार से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी को सम्पर्क स्थापित करता है तो उसका अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा



कुलसचिव